

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 74/2017 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 दिसंबर, 2017

सा.का.नि.....(अ),- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिससे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1121 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 27/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 30 अगस्त, 2017 के क्रम संख्यांक 2 (i) और क्रम संख्यांक 2 (ii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जी एस टी (भाग)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार